भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून—248001 दूरभाषः 0135—2650809 फैक्स—0135—2653010 ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांकः 🕅 / 11 / 2019

पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 173 / 2019 / एफ.सी. 178 4

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :जनपद— रूद्रप्रयाग के विधान सथा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील— रूखीमठ के अंतर्गत हाट—बष्टी मोटर मार्ग को एन०एच०—107 से जोड़ने के लिये मन्दािकनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 938 / x-4-19/1(114)/2019 दिनांक 01.10.2019 महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है:—

- 1- FRA certificate submitted/uploaded is for area 0.006 ha instead of 0.06 ha. Hence, the State govt. may upload/submit the correct FRA certificate duly c/s by issuing authority.
- 2- State govt. may submit the land schedule duly c/s by DFO to this office.
- 3- State govt. may submit the DFO's Site Inspection Report in original to this office.
- 4- As per details filled in component wise breakup, details of approach road are not submitted by the state govt. and in muck disposal plan, it is mentioned that muck will be utilized in approach road. Therefore, the state govt. may clarify the same and submit the details of approach road.
- 5- Justification uploaded at para-D found incomplete. State Govt. may upload/submit the complete justification of the requirement to this office.
- 6- Plantation scheme of only 60 trees submitted instead of 100 trees. Hence, the state govt. may submit the correct plantation scheme.
- 7- Name of proposal mentioned in Part V is incomplete. Therefore, the state govt. may fill the complete name of proposal in Part-V.
- 8- राज्य सरकार alignment of area except bridge हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल) तकनीकी अधिकारी (वानिकी)